न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 154 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. गणेश पिता खुराज तेली, नि0 सुरपुर मृत्तक के बजाय–
   1/1– कन्हैयालाल पिता गणेश तेली आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   1/2– मु0 नंदूबाई बेवा गणेश तेली आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
   1/3–मु0 नारायणी पुत्री गणेश पत्नी कालुराम तेली आयु वयस्क निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)।

—— वादीया

बनाम

1. भैरूलाल पिता गोकल तेली आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन हाल मुकाम सांवलिया जी (मण्डपिया) तहसील भादसोडा जिला चित्तौड़गढ़।
2. रामनारायण पिता गोकल तेली आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मु0 अमरी बेवा गोकल तेली आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)। (विलोपित)
4. मु0 भेरी पुत्री गोकल पत्नी किशना तेली आयु वयस्क निवासी सोनियाणा तहसील भदेसर चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मु0 शंकरी पुत्री गोकल पत्नी घीसूलाल तेली आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. मु0 डाली पुत्री गोकल पत्नी छोगा तेली आयु वयस्क निवासी सुरखण्ड तहसील भादसोडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. जमनालाल पिता जवाहरमल जाट आयु वयस्क निवासी सुरपुर तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. लेरी पत्नी सुन्दरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. सुन्दरलाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील कपासन चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 19.02.2026

–:निर्णय:–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा सुरपुर तहसील कपासन में साबिक पैमायश की कृषि भूमि खाता नं0 141 में आ0 नं0 438 रकबा 3 बिस्वा, 439 रकबा 1.08 बिघा, 440 रकबा 2.07 बिघा, 441 रकबा 3.10 बिघा, 442 रकबा 3 बिस्वा, 443 रकबा 1.03 बिघा, 444 रकबा 3 बिस्वा, 446 रकबा 3 बिस्वा, 456 रकबा 4.03 बिघा, 458 रकबा 3.10 बिघा, 459 रकबा 4.17 बिघा, कुल किता 11 कुल रकबा 21 बिघा 10 बिस्वा स्थित थी जो राजस्व रेकार्ड मे रामा–भेरा–उदा–चुना–दाखी–कस्तुरी पिता चम्पा तेली 1/2, गणेश, गोकल पिता खुराज तेली

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

1/2 के नाम पर दर्ज थी, ताईद में जमाबन्दी संख्या 2037 से 2040 तक की जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उक्त आराजीयात के हाल पैमायश में आ0नं0 524, 525, 526, 534, 536 तथा 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 कायम हुए तथा इनमें से आ0नं0 538 से 544 तक कुल किता 07 कुल रकबा 1.80 हैक्ट0 तो खाता नं0 126 के जरिये भेरा पिता चम्पा 1/2 गणेश, गोकल पिता खुराज तेली हिस्सा 1/2 के नाम पर दर्ज हो गई मगर आ0 नं0 524 रकबा 1.13 हैक्ट0, 525 रकबा 0.34 हैक्ट0, 526 रकबा 0.40 हैक्ट0, 534 रकबा 0.22 हैक्ट0, 536 रकबा 0.77 हैक्ट0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 जरिये खाता नं0 211 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भेरा पिता चम्पा तेली द्वारा 1/2 भाग विक्रय करने से प्रतिवादी नं0 8–9 मु0 लेरी व सुंदरलाल जाट के नाम पर दर्ज हुई तथा शेष 1/2 हिस्सा केवल गोकल पिता खुराज तेली के नाम पर ही दर्ज हो गया जबकि उक्त 1/2 हिस्सा वादी गणेश व गोकल पिता खुराज तेली दोनों के नाम पर अंकित होना चाहिए था।

यह कि गोकल पिता खुराज तेली का स्वर्गवास हो गया व उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक हैं और उक्त खाता संख्या 211 में 1/2 हिस्सा उनके नाम पर दर्ज हैं जो गलत हैं तथा उक्त आराजीयात 1/2 हिस्से में से आधा हिस्सा 1/4 वादी व आधा हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का हैं और उक्त हिस्सानुसार ही इनका उक्त आराजीयात पर कब्जा हैं।

यह कि हाल पैमायश में उक्त खाता नं0 211 में स्थित 1/2 हिस्से में गोकल व वादी गणेश का 1/4–1/4 हिस्सा हैं मगर सेवन से पैमायश विभाग की गलती से गणेश वादी का नाम अंकित होने से रह गया व पुरा 1/2 हिस्सा गोकल के नाम पर दर्ज हो गया व गोकल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 से 6 तक के नाम दर्ज हो गया जबकि वादी का 1/4 व प्रतिवादी नं0 1 से 6 का 1/4 हिस्सा हैं व उक्त गलत ईन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से 6 को ईन्द्राज दुरूस्ती हेतु कहा तो उन्होने कराने का आश्वासन दिया व वादी ने उनपर विश्वास किया मगर उन्होने उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने की गरज से प्रतिवादी नं0 1 से 5 तक ने खाते में दर्ज 5/12 हिस्सा बिना वादी को बताए गलत रूप से प्रतिवादी नं0 7 जमनालाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 05/08/2013 को विक्रय कर दिया जबकि उक्त विक्रयशुदा आराजीयात में आधा हिस्सा वादी के खातेदारी व कब्जे का हैं तथा उक्त विक्रयशुदा जमीन पर प्रतिवादी नं0 7 को कब्जा भी नहीं दिया गया हैं बकाया 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 मु0 डाली के नाम पर हैं जिसमें भी वादी का आधा हिस्सा हैं इस प्रकार उक्त खाता नं0 211 में स्थित 1/2 हिस्से की आराजी में 1/4 हिस्सा वादी का व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 से 5 प्रतिवादी नं0 7 को विक्रयशुदा व प्रतिवादी नं0 6 का संयुक्त रूप से हैं अतः इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा जो अपने हिस्से से अधिक जमीन विक्रय की हैं वह गलत हैं व वादी के मुकाबले उक्त दस्तावेज शुन्य व प्रभावहीन हैं अतः उक्त जमीन पुनः वादी के नाम पर दर्ज की जाना चाहिए।

यह कि उक्त नाजायज विक्रयपत्र व इन्द्राज की आड में प्रतिवादी नं0 7 वादी को अपने हिस्से व कब्जे की आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देता हैं जबकि प्रतिवादी नं0 7 एक अजनबी क्रेता हैं व उसका जैरबहस जमीन पर कब्जा भी नहीं है तथा बिना विभाजन कराए व इन्द्राज दुरूस्ती कराये उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे की आराजीयातमें प्रवेश करने का भी अधिकार नही हैं अतः उसको जरिये निषेधाज्ञा रोका जाना भी आवश्यक हैं अन्यथा वादी अपने हिस्से व कब्जे की आराजीयात से बेदखल कर दिया जायेगा तो उसको भारी असुविधा व क्षति

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

होगी व पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद होगे और इन सबकी क्षतिपुर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकेगी।

यह कि वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से 7 तक को उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करा वादी के हिस्से की आराजीयात वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहा तथा कब्जे से भी बेदखल नही करने हेतु कहा तो टालमबाजी करते हैं व विवाद पर आमादा हैं अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 25.08.2013 से हैं व निरन्तर पैदा हो रही हैं।

अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र में वर्णित ग्राम सुरपुर तह0 कपासन में स्थित खाता संख्या 211 की आराजी नं0 524–525–526–534–536 कुल किता 5 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार होकर काबिज हैं तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड का इन्द्राज गलत हैं अतः उसे दुरूस्त किया जाकर वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का 1/4 हिस्सा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 7 का 5/24 हिस्सा अंकित किया जावें तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 8–9 के नाम पर यथावत कायम रखा जावें।

यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं0 1 से 7 तक के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा प्रदान की जावें कि वादी के हिस्से व कब्जे की उक्त आराजीयात से वादी को बेदखल नहीं करे व उक्त आराजीयात को अन्यत्र रहन विक्रय व अंतरित नही करे तथा प्रतिवादी नं0 7 अजनबी क्रेता हैं अतः बिना विभाजन कराये जैरबहस आराजीयात में प्रवेश नहीं करे व दस्तन्दाजी नहीं करे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित किये जाने बाबत् आदेशिका पर वकील वादी द्वारा हस्ताक्षर अंकित कर निवेदन किया गया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 , 9 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 26.02.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से पूर्व में दिनांक 15.05.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी में कन्हेयालाल का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–8 है। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। दस्तावेज अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी संख्या 439, 442, 443, 444, 440, 441, 439 मी, 446, 456 में गणेश, गोकल पिता खुराज हिस्सा 1/2, व रामा, भेरा, उदा, चुना, दाखी, कस्तुरी पिता चम्पा जाति तेली हिस्सा 1/2 दर्ज रेकार्ड था उक्त 1/2 के खातेदारान द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को बेचान किया गया, गणेश व गोकल का हिस्सा यथावत था जो प्रदर्श–3 से स्पष्ट है। प्रदर्श–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त साबिक नम्बरान से हाल आराजी संख्या 524, 525, 526, 534, 536 बने है। भूप्रबन्ध पश्चात उक्त हाल आराजीयात में लेहरी जोजे सुन्दरलाल पिता शंकरलाल हिस्सा 1/2 व गोकल पिता खुराज हिस्सा 1/2 आधार वर्ष की जमाबन्दी में अंकित हुआ, जो प्रदर्श–5 के अवलोकन से स्पष्ट है। दौराने भूप्रबन्ध गणेश का नाम रेकार्ड में अंकन से रह गया। मृत्तक गोकल के बजाय उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ जो प्रदर्श–4 में अंकित है। प्रतिवादी संख्या 6 को छोडते हुए शेष प्रतिवादीगण द्वारा अपना 5/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 को बेचान किया गया जो प्रदर्श–4 से स्पष्ट है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

अतः वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्य के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा सुरपुर पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल आराजी नम्बर 524, 525, 526, 534, 536 कुल किता 05 कुल रकबा 2.66 हैक्ट0 में वादी संख्या 1/1 से 1/3 को 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, वादीगण का 1/4 प्रतिवादी संख्या 6 का 1/24, प्रतिवादी संख्या 7 का 5/24 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का हिस्सा यथावत रखा जावें। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(कास्ट-ट्रेक) कपासन